तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए
10-7-2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी वकील उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस सुनी गई। प्रार्थिनी की ओर से ग्राम कुसीप की ख.सं. 22 रकबा 17–06 बीघा भूमि के रिकॉर्ड में कमला पुत्री हकिया के स्थान पर मोर की पुत्र हकमाराम दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। हकिया उर्फ हकमा के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 1415 के जरिये उसका नाम मोरकी के स्थान पर कमला दर्ज कर दिया गया। तथ्यों के संबंध में तहसीलदार सिवाना से तलब की गई मौका फर्द, जो ILR थापन द्वारा तैयार की गई है, के अनुसार मोरकी पुत्री हकिया की शादी नेमाराम पुत्र रामाराम के साथ हुई थी। मोरकी पुत्री हकिया फौत हो चुकी है तथा उसके पति नेमाराम ने भांडियावास निवासी अन्य मोरकी नाम की महिला से शादी कर ली थी। चूंकि मोरकी पुत्री हकिया लाऔलाद फौत हो चुकी है और प्रकरण में प्रार्थी वकील ने उसकी फौतेदगी एवं वारिसान की सूचना प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी सूरत में आवेदन की कार्रवाई जारी रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.09.08 15:24:59 IST
Reason: SelfAttested